Court of Addl. District & Sessions Judge-II, Rosera
S.T. No. 222/2022 CIS-42/2022

23.11.2023 सभी 4 अभियुक्तों में से एक की हाजरी तथा शेष 3 की ओर से प्रतिनिधित्व आवेदन पत्र दाखिल किया गया, जिसे केवल आज भर के लिए स्वीकृत किया जाता है।

अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से एक आवेदन दाखिल कर विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वर्तमान वाद सूचक की ओर से साक्ष्य हेतु लंबित है। वाद में घटना का समय 11:45 बजे रात्रि का है, जिसमें सूचक एवं उनके पुत्रगण भी घर पर मौजूद थे तथा सूचक को बचाने के क्रम में उसका पुत्र कृष्णदेव पंडित गंभीर रूप से जख्मी हुआ था जिसका जख्म प्रतिवेदन अभिलेख पर उपलब्ध है। अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि राम उदगार पंडित से भी अभियुक्तगण मारपीट किया था, जो श्रीमान् के समक्ष परीक्षित साक्षी के बयान से भी स्पष्ट होगा, लेकिन पुलिस मुदालह के मेल में निम्न साक्षी का नाम आरोप पत्र मे दर्ज नही किया। विद्वान अधिवक्ता आगे अभिकथन करते हैं कि आरोप पत्र में दर्ज साक्षी सुमित्रा देवी, पति रामाशीष पंडित आंख से अन्धी एवं बिल्कुल अस्वस्थ्य एवं मरनासन्न की स्थिति में है जिनका उठना–बैठना, बोलना, सूनना बंद है जिसके कारण उनका साक्ष्य दिलाना संभव नही है। अंत में विद्वान अधिवक्ता उक्त आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत कर साक्षी 1. राम उदगार पंडित एवं 2. कृष्णदेव पंडित का साक्ष्य कराने हेतु आदेश दिए जाने का निवेदन करते हैं।

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल कर निवेदन करते हैं कि अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन कानून की दृष्टि से खारिज करने लायक है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि सूचक के आवेदन के पारा–01 की बाते सत्य है किन्तु पारा–02 पूर्णतः असत्य है। प्रार्थी बचाव पक्ष सूचक एवं उनके पुत्र कृष्णदेव पंडित एवं रामउदगार पंडित के साथ किसी प्रकार का कोई घटना नही किए हैं। साथ ही अनुसंधान के दौरान दोनों अनुसंधानकर्ता के समक्ष अपनी गवाही नही दिए थे, इसलिए आरोप पत्र के कॉलम में साक्षी के रूप में नाम नही दिया गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि सूचक के आवेदन के पारा–03 के बातों के समर्थन में सूचक ने कोई ईलाज का पुर्जा दाखिल नही किया है तथा पारा–04 की बातें भी पूर्णतः गलत है। आवेदन में दर्ज दोनों साक्षियों का ब्यान कांड दैनिकी एवं आरोप पत्र में दर्ज नही है इसलिए साक्ष्य लिया जाना सही नही होगा। अंत में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अभियोजन की ओर से दाखिल आवेदन को खारिज किए जाने का निवेदन करते हैं।

लगातार

Court of Addl. District & Sessions Judge-II, Rosera
S.T. No. 222/2022 CIS-42/2022

लगातार
23.11.2023

सूना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से एक आवेदन दाखिल कर विद्वान अपर लोक अभियोजक वाद के जख्मी 1. रामउदगार पंडित तथा 2. कृष्णदेव पंडित का साक्ष्य कराने हेतु आदेश दिये जाने का निवेदन करते हैं। बचाव पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन का विरोध करते हैं। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि 1.रामउदगार पंडित तथा 2. कृष्णदेव पंडित का नाम ना तो औपचारिक प्राथमिकी, ना ही आरोप पत्र में अंकित है। उक्त साक्षीगण का साक्ष्य भी वाद दैनिकी में अंकित नही है। अभिलेख पर जख्मी कृष्णदेव पंडित का दिनांक 16.09.2019 का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है जबकि घटना तिथि 14.02.2016 है जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन कानून की दृष्टि से पोषणीय नही है तथा खारिज किए जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से दिनांक 13.10.2023 का दाखिल आवेदन खारिज किया जाता है।

दिनांक 11.01.2024 वास्ते अभियोजन साक्ष्य।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय,

लगातार